Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 159/2022

Dharamnath Pd. Bhagat & Ors ..... Appellants.

Versus

Khusbu Gupta & Anr ..... Respondents

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	29.09.2023	**आदेश** प्रस्तुत भू–विवाद अपील न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज, अररिया द्वारा BLDR वाद सं0–33/2021–22 में दिनांक–18.06.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी प्रथम पक्ष द्वारा M.S. खाता सं0–60, M.S. खेसरा सं0–88/129, रकवा–2.1 डी0 एवं 1.75 डी0 क्रमशः विक्रय संलेख सं0–9989 दिनांक–09.10.2013 एवं 9134 दिनांक–13.09.2013 द्वारा क्रय करते हुए दखलकार होकर नामांतरण के पश्चात् भू–लगान भुगतान कर रही है। अपीलार्थियों के विरोध के कारण उनके द्वारा निम्न न्यायालय में सीमांकन एवं दखल हेतु उक्त वाद दायर किया गया। अपीलार्थीगण द्वारा निम्न न्यायालय में उपस्थित होकर अपना प्रत्युत्तर समर्पित करते हुए कहा गया कि प्रश्नगत भूमि इनकी पैतृक संपत्ति है जो चार भाईयों यथा–शिवनाथ भगत, धरमनाथ भगत, देवनाथ भगत एवं बैजनाथ भगत के नाम है जिसका आपस में बँटवारा नहीं हुआ है। अपीलार्थी सं0–02 बैजनाथ भगत द्वारा सब जज प्रथम, अररिया के समक्ष T.S. No. 76/2017 दायर किया गया जिसमें अन्य अपीलार्थी प्रतिवादी हैं। उक्त वाद में दिनांक–17.09.2021 को निर्णय पारित किया गया है। उक्त Title Suit दाखिल करने के पूर्व एवं लंबित रहने के दौरान देवनाथ भगत के पुत्र मनोज भगत वगैरह द्वारा प्रश्नगत भूमि का कुछ भाग किसी अन्य व्यक्ति के पास बिक्री कर दी गई जिससे उत्तरवादी प्रथम पक्ष ने क्रय किया किन्तु वे दखलकार नहीं हुई। फलतः उनके द्वारा निम्न न्यायालय में उक्त वाद दायर किया गया जिसमें इनके विरूद्ध आदेश पारित हुआ। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। प्रश्नगत भूमि स्व0 नंदलाल भगत के पुत्रों की संयुक्त संपत्ति है। T.S. No. 76/2017 में पारित आदेश एवं प्रारंभिक डिक्री के अनुसार प्रश्नगत भूमि में स्व0 नंदलाल भगत के वारिसानों को 1/4 हिस्सा है। निम्न न्यायालय द्वारा यह मान लिया गया है कि पूर्व में इनके बीच बँटवारा हो गया है। उत्तरवादिनी के	

Web Copy Not Official.

		क्रय को सही माना गया है। निम्न न्यायालय आदेश T.P. Act की धारा 44 के प्रतिकूल है। T.S. No. 76/2017 में अंतिम डिक्री लंबित है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। क्रमशः	
	लगातार 29.09.2023	दूसरी तरफ उत्तरवादी प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपील तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। निम्न न्यायालय आदेश उभय पक्षों को सुनते हुए सुविचारित एवं नियमानुकूल है। इनके द्वारा प्रश्नगत भूमि दो विक्रय संलेख से क्रय करते हुए वर्ष 2013 से ही दखलकार है। इनके द्वारा जब उक्त भूमि पर पक्का संरचना हेतु प्राप्त नक्शा के अनुरूप अंचल अमीन से नापी कराने के दौरान अपीलार्थियों द्वारा बाधा उत्पन्न किये जाने के विरूद्ध निम्न न्यायालय में सीमांकन हेतु उक्त वाद दायर किया गया। नामांतरण वाद सं0–10146 एवं 10147/2013–14 द्वारा प्रश्नगत भूमि की विधिवत् जमाबंदी इनके नाम दर्ज है और ये अद्यतन भू–लगान भुगतान कर रही है। उत्तरवादी प्रथम पक्ष को वर्ष 2013 में ही विक्रय संलेख प्राप्त है जिसकी जानकारी अपीलार्थियों को उसी समय से है किन्तु इनके विक्रय संलेख के विरूद्ध कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इतना ही नहीं इनके उक्त नामांतरण को अपीलार्थियों द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई। अपीलार्थियों द्वारा वर्णित Title Suit में उत्तरवादिनी पक्षकार नहीं है। फलतः उक्त निर्णय इनपर बाध्यकारी नहीं है। अपीलार्थी सं0–02 बैजनाथ भगत द्वारा विक्रय संलेख सं0–1615 दिनांक–03.03.2009 को खाता सं0–60, खेसरा सं0–88/132, रकवा–1.68 डी0 (दो कठ्ठा) भूमि अपने हिस्से से अपनी पत्नी आशा देवी के पक्ष में निष्पादित की गई है। इससे यह स्पष्ट है कि पूर्व में ही वैध वारिसानों के बीच खानगी बँटवारा हो चुका है। उल्लेखनीय है कि उत्तरवादिनी ने प्रश्नगत भूमि विनोद कुमार केजरीवाल से क्रय किया है जिन्होंने वर्ष 2009 में भू–स्वामी से क्रय करते हुए शांतिपूर्ण दखलकार रहे थे। निम्न न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नियमानुकूल आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा कमजोर महिला को मात्र परेशान करने की नियत से यह विवाद उत्पन्न किया गया है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने तथा निम्न न्यायालय आदेश एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत विवाद स्व0 नंदलाल भगत के वारिसानों के बीच आपसी बँटवारे को लेकर है जिसमें प्रश्नगत भूमि भी सन्निहित है जिसे उत्तरवादिनी द्वारा क्रय की गई है। उक्त स्वत्व वाद दाखिल करने के पूर्व एवं लंबित रहने के दौरान एक सह–हिस्सेदार देवनाथ भगत के पुत्र मनोज भगत वगैरह द्वारा प्रश्नगत भूमि का कुछ भाग किसी अन्य व्यक्ति के पास बिक्री कर दी गई जिससे उत्तरवादी प्रथम पक्ष ने क्रय किया। उक्त स्वत्व वाद में अंतिम डिक्री लंबित है। इस प्रकार प्रस्तुत वाद में भू–स्वामियों द्वारा आपसी बँटवारे को लेकर विवाद है जिसमें स्वत्व का संशलिष्ट प्रश्न जुड़ा होना स्पष्ट परिलक्षित होता है जिसे निम्न न्यायालय द्वारा नजरअंदाज किया गया है। ऐसे मामलों का विचारण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है। अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को विधिसम्मत्	

Web Copy. Not Official.

		एवं न्यायोचित नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.